राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक प.16(12)(   )कोरोना/न्याय/20/**5176**

दिनांक **30.11.2020**

–: आदेश :–

गाईडलाईन (दिनांक 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2020) के क्रियान्वयन बाबत

राजस्थान कोविड–19 महामारी के विरूद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण मोड पर है । सक्रिय मामलों की संख्या कम होने के पश्चात पिछले कए माह में पुनः बढने लग गई है। हाल ही में त्यौहार, वैवाहिक समारोह, सर्दियों की शुरूआत और दिशानिर्देशों के पालन में कतिपय शिथिलता के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है, जिससे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर दबाव पड रहा है । कोविड–19 के विरूद्ध अब जन आन्दोलन प्रारम्भ करना समय की मांग है । प्रत्येक नगारिक को सम्यक सावधानी बरतने हुए निगरानी, नियंत्रण और दिशा–निर्देशों के सख्त पालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालना करना चाहिए ।

संक्रमण के रोकथाम एवं इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40–3/2020–डीएम– I(ए) दिनांक 25.11.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकः प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 29.11.2020 द्वारा क्रियान्वयन हेतु जारी गाईडलाइन्स के अनुसरण में **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020** के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, मैं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही दिनांक 01.12.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक व्यक्ति/समस्त कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों /प्रतिष्ठानों /संगठनों के लिये लागू करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता हूँ एवं जनता द्वारा जिम्मेदार स्व–नियमन (Self Regulation) अपेक्षित है।

A.निगरानी और कंटेनमेंट जोन :	1. कन्टेनमेन्ट जोन्स में दिनांक 31.12.2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। 2. भेद्य एवं उच्च घटनाओं वाले (vulnerable and high incidence) क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रभावी सीमाकंन, संक्रमण के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोडने और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है । संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कडी को प्रभावी रूप से तोडने के उद्देश्य से कन्टेनमेन्ट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर वबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा और इसकी सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की जायेगी । 3. कन्टेनमेन्ट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कडे प्रतिबंध उपयों की सख्ती से निम्नानुसार अनुपालना करवा जावें:– i. कन्टेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत की जावे । ii. कन्टेनमेन्ट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा । iii. कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेसिंग, घर–घर निगरानी तथा आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियं अमल में लायी जायेगी । iv. ऐसे व्यक्ति जो कोविड पोजिटिव पाये गये है, उनके संपर्क में

	आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रेकिंग, पहचान एवं उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जायेगा । कोविड पोजिटिव पाये गये व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों में से कम से कम 80 प्रतिशत की 72 घंटे में पहचान कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए । v. कोविड–19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर / उनके घरों में (गाईडलाईन्स की पालना की शर्त पर) तुरन्त आईसोलेट किया जावेगा । vi. चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाईल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे । बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए RajCovvidInfo ऐप डाउनलोड करेगा । vii. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कोविड क्वारेटाईन ट्रेकिंग अलर्ट सिस्टम (QTAS) और मरीज को कॉल करने के लिए 181 सेवा के उपयोग के बारे में आवश्यक आदेश जारी करेगा । viii. निर्धारित एवं आवश्यक नैदानिक हस्तक्षेप (Clinical intervention) किया जावें । ix. इन्फ्ल्यूएंजा लाइक इलनेस एवं सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी इलनेस मामलों के लिए निगरानी (सर्विलेंस) स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाईल इकाईयों या बफर जोन में स्थित बुखार क्लीनिक के माध्यम से की जावें । x. समुदायों में कोविड–19 से बचने के लिए उचित व्यवहार सम्बन्धी जागरूकता पैदा की जावें । xi. निर्धारित कन्टेनमेन्ट उपयों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी जिले, पुलिस और नगर/ नगरपालिका, पंचायत के अधिकारियों की होगी । इस हेतु सभी अधिकारी जवाबदेही से कार्य किया जाना सुनिश्चित करें । xii. अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के आदेश की पालना की जावें । **कन्टेनमेन्ट जोन्स में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी** ।
C.कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में :–	(i) राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के लिये एवं नियमित कक्षा गतिविधियों के लिये सभी विद्यालय/ महाविद्यालय /शैक्षणिक ओर कोचिंग संस्थान आदि दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे । यद्यपि निम्नांकित गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी :– **ए.** ऑनलाईन/डिस्टेन्स लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा । **बी.** विद्यालयों में ऑनलाईन अध्यापन/टेलीकाउन्सिलिंग एवं संबंधित कार्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) के अनुसार 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा । **सी.** केवल कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी । लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता–पिता/ अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) के अनुसार अनुमती होगी।

डी. दिनांक 01.12.2020 से नर्सिंग एवं जीएनएम महाविद्यालय/ विद्यालय अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन्स अनुसार खोले जायेंगे।

ई. मेडिकल महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय 01.12.2020 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन्स अनुसार खोले जायेंगे ।

(ii) उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल शौधार्थी (Ph.D) एवं विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है, के लिए 15.10.2020 से निम्नानुसार खोले जाने की अनुमति जारी की हुई है, जो निम्नानुसार है:–

(1) केन्द्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं का यह समाधान करेंगे कि शौधार्थी (Ph.D) एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोत्तर विद्यार्थियों को प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्य की वास्तविक आवश्यकता है ।

(2) अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों, जैसे कि राज्य के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविधालय आदि को केवल शौधार्थी (Ph.D) एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोत्तर विद्यार्थियों को प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है, राज्य सरकार के निर्णयानुसार खोला जा सकेगा ।

(iii) सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क एवं ऐसे समान स्थान दिनांक 31.12.2020 तक बंद रहेंगे ।

(iv) **दिनांक 31.12.2020 तक सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कूद /मनोरंजन /शैक्षणिक/धार्मिक आयोजनों एवं वृत एकत्रीकरण की अनुमति नहीं होगी ।**

तथापि कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नलिखित जारी रहेंगे:–

(i) विवाह संबंधी आयोजन ।

आयोजन कर्ता द्वारा :–

(1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानतः ईमेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी ।

(2) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

(3) फेस मास्क पहनान अनिवार्य होगा **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना की जायेगी ।

(4) **स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित** की जावेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेगें ।

(5) सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस् आदि की बार–बार सेनेटाईज की जायेगी ।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमन्त्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी ।

(ii) अन्त्येष्टि / अंतिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनेंगे, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ । अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी ।

तथापि, यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक/ आम कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान

	(Seating Plan) के साथ आवेदन किया जाता है तो जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्न शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे । **आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि :–** (1) आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या **ए.** बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे । **बी.** खुले स्थानों पर स्थल / जगह को ध्यान में रखते हुए 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे **प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज दूरी) संधारित करेगा।** (2) सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी । (3) फेस मास्क पहनान अनिवार्य होगा । **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी । (4) **स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता** सुनिश्चित की जावेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेगें । (5) कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस् एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायेगी । **उपरोक्त शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा ।**
D. कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) की सख्ती से पालना :	1. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर, निम्न के अलावा जो कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमत है, सभी अन्य गतिविधियां अनुमत है :– i. गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अर्न्तराष्ट्रीय हवाई यात्रा । ii. केवल तैराकी प्रतियोगिताओं से संबंधित स्पोर्ट्स पर्सन के प्रशिक्षण हेतु तरणतालों का उपयोग । iii. केवल बिजनेस से बिजनेस के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए प्रदर्शनी हॉल का उपयोग परन्तु इस हेतु हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति (जो भी कम हो) ही अनुमत होंगे । 2. विभिन्न अनुमति गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) निर्धारित की गयी है । सुलभ संदर्भ हेतु गतिविधि वार एसओपी की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर उपलबध कराया जायेगा । 3. संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) को सख्ती से लागू करवाया जावेगा एवं वे कडाई से पालना कराने हेतु उत्तरदायी होंगे ।
E.कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार :	सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटगण एवं संबंधित अधिकारीगण कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता ओर सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढाया देने के लिए सभी आवश्यक उपाय केंगे । 1. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है । इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे । 2. भीड–भाड वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड को विनियमित करने के लिए

	मानन कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे । 3. विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे । इनकी कडाई से अनुपालना करवाई जावे । 4. कोविड–19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पुरे जिले में कडाई से पालना की जायेगी ।
F.कोविड–19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश (Common Safety Directives for Covid-19 Management) :	जिले में सभी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे :: **1. <u>सार्वजनिक स्थान (In Public Spaces)</u> :** निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा: 1. **मुंह को ढकना (Face Covering)** : सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क / कवर पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी । 2. **सार्वजनिक दूरी** : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट 'दो गज की दूरी' बनाये रखेगा । 3. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है । 4. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है । 5. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनेटाईजर का उपयोग करें । **2. <u>कार्य स्थलों में (At work Places)</u> :** कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती है : 1. **घर से कार्य करना (WFH)** : जहॉं तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए । 2. **कार्य/व्यवसाय के घन्टों में अन्तराल रखना** : कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यवसाय के घन्टों में अन्तराल रखा जाये । (Staggering of Work / business hours) 3. **जॉच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene):** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबन्ध किया जावें । 4. **बार–बार सेनेटाईजेशन करना :** सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा । 5. **सामाजिक दूरी** : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा । 6. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा। **उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की कियान्विती आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी ।** **3. <u>दुकानों</u> :** दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की

	जायेगी । **"नो मास्क नो एन्ट्री"** जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा उसकों दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा ।
G.आरोग्य सेतु का उपयोग :	1. आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित जोखिम की शीघ्र पहचान में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है । 2. सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिए प्ररित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए । 3. 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठन वाले संगठन और व्यवसायिक संस्थाओं को AarogyaSetuOpenAPI सेवा (https://openapi.aarogyasetu.gov.in) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । OpenAPI सुविधा संगठनों और कर्मचारियों को कोविड–19 जोखिम मुक्त वातारण में काम पर लौटाने में सहायक होगी । 4. जिला प्राधिकारियों को आरोगय सेतु एप को आमजन के मोबाईल फोन पर इन्स्टाल करने एवं उस पर नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट करने का परामर्श देना चाहिए । इससे उन व्यक्तियों को जो महामारी के जोखिम में है, को समय रहते चिकित्सा हेतु ध्यान देने की लिए सुविधा मिलेगी ।
H. भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह (Sefety Advisory for Vunerable People) :	भैद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगण्ता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है । घर से बाहर जाने पर यह अति–आवश्यक है कि वे निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें ।
I. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास (Movement of People/Transport /Passes) :	(i) वस्तुओं के अन्तर्राज्यी एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । ऐसे आवागमन के लिए पृथक से अनुमति / अनुमोदन / ई–परमिट की आवश्यकता नहीं होगी । (ii) अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटराईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला / उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा । (iii) सिटी बसों (लोक परिवहन) का संचालन जारी गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होंगे । (iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की **स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं** होगी । (v) यात्री ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रकिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
F. कियान्वयन मशीनरीः	गृह विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2020 को जारी किये गये समसंख्यक आदेश एवं इस कार्यालय के आदेश संख्या 1806 एवं 1807 दिनांक 27.3.2020 के अनुरूप होगी ।

उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जावे ताकि मानव जीवन और उसका स्वास्थ्य खतरे में नहीं पडे तथा कोविड–19 के वायरस के खतरे का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सकें। संबंधित समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि छूट में समस्त व्यक्तियों/कार्यालयों/समस्त

प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में Social Distancing एवं Covid-19 अन्तर्गत पूर्ण प्रोटोकॉल का पालन किया जावें।

आमजन केवल आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर जाएं अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहे।

गाईड–लाईन्स में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरुप कियान्वित नहीं किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 अंतर्गत एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। सो संबंधित समस्त एवं आमजन सूचित रहे।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/5176
दिनांक 30.11.2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :–

1. अति. मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर ।
3. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर ।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही
6. उप वन संरक्षक, सिरोही/वन्य जीव, आबूपर्वत
7. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूपर्वत/रेवदर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही ।
10. जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही / आबूरोड ।
11. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान पथ परिवहन निगम, सिरोही / आबूरोड ।
12. जिला स्तरीय अधिकारी...(समस्त), जिला–सिरोही
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
14. तहसीलदार, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
15. आयुक्त, नगरपरिषद, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत /अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड /जावाल।
16. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / विकास शाखा / आपदा प्रबन्धन कार्यालय हाजा।
17. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	अपराध	शास्ति	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/–	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/–	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/–	
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5,000/–	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	विवाह से सम्बन्धित समारोह आयोजन, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति हो।	25,000/–	
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/–	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यअवधि के दौरान नियमित रूप से	10,000/–	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक

	सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।		2. रीको ईकाई के प्रमुख
10.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना (विवाह अथवा अन्त्येष्टि / अंतिम संस्कार के अलावा) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना जिसमें:– *1- Closed Space में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम संख्या 100 व्यक्तियों से अधिक होने पर।* *2- Open Space (खुले स्थानों में) मैदान / स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 100 व्यक्तियों से अधिक होने पर।* तथा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी की पालना नहीं किये जाने पर, फेस मास्क नहीं लगाने अथवा समुचित रूप से नहीं पहनने पर, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर। उक्त प्रावधान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त अनुमति के उपरांत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर भी लागू होंगे।	10,000 / –	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी